



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19062020-220015
CG-MH-E-19062020-220015

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]
No. 220]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISTHA 28, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
शुद्धिपत्र

मुंबई, 19 मार्च, 2020

(मार्च, 2020 के 16वें दिन पारित)

सं. टीएएमपी/56/2019-एनएसआईसीटीपीएल.—इस प्राधिकरण ने न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एनएसआईसीटीपीएल) से प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अंतर्गत, उनके दरमानों के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव से संबंधित मामले में 20 फरवरी, 2020 को आदेश सं.टीएएमपी/56/2019-एनएसआईसीटीपीएल पारित किया। उक्त आदेश के अनुसार अनुमोदित दरमान भारत के राजपत्र, असाधारण, (भाग-4, खंड-III) में 3 मार्च, 2020 के राजपत्र संख्या 99 में अधिसूचित हुए।

2. भूलवश, 3 मार्च, 2020 को अधिसूचित दरमान में एक अशुद्धि हो गयी। अशुद्धि का ब्यौरा और उसमें किया जाने वाला सुधार नीचे दिया जाता है:-

आदेश का संदर्भ	जैसा अधिसूचना में दिया गया है	नीचे दिये गये अनुसार पढ़ा जाये												
अनुलग्नक (दरमान) का खंड 7 – ख शट आऊट/ कंटेनरों का पुनः नामांकन – शट-आऊट कंटेनरों का परिवहन	<table><tr><th>ख. शट-आऊट कंटेनरों का परिवहन</th><th>दर अमेरिकी डॉलर में</th></tr><tr><td>एफसीएल और मी.टी. 40'</td><td>5,212</td></tr><tr><td>एफसीएल और मी.टी. 20'</td><td>3,475</td></tr></table>	ख. शट-आऊट कंटेनरों का परिवहन	दर अमेरिकी डॉलर में	एफसीएल और मी.टी. 40'	5,212	एफसीएल और मी.टी. 20'	3,475	<table><tr><th>ख. शट-आऊट कंटेनरों का परिवहन</th><th>दर रु में</th></tr><tr><td>एफसीएल और मी.टी. 40'</td><td>5,212</td></tr><tr><td>एफसीएल और मी.टी. 20'</td><td>3,475</td></tr></table>	ख. शट-आऊट कंटेनरों का परिवहन	दर रु में	एफसीएल और मी.टी. 40'	5,212	एफसीएल और मी.टी. 20'	3,475
	ख. शट-आऊट कंटेनरों का परिवहन	दर अमेरिकी डॉलर में												
	एफसीएल और मी.टी. 40'	5,212												
	एफसीएल और मी.टी. 20'	3,475												
ख. शट-आऊट कंटेनरों का परिवहन	दर रु में													
एफसीएल और मी.टी. 40'	5,212													
एफसीएल और मी.टी. 20'	3,475													

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन—III/4/Exty./61/2020-21]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**CORRIGENDUM**

Mumbai, 19th March 2020

(Passed on this 16th day of March 2020)

No.TAMP/56/2019-NSICTPL.—The Authority has passed an Order No. TAMP/56/2019- NSICTPL dated 20 February 2020 in the case relating to the proposal received from Nhava Sheva International Container Terminal Private Limited (NSICTPL) for General revision of its Scale of Rates (SOR) under Tariff Guidelines, 2019. This Order has been notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 3 March 2020 vide Gazette No. 99.

2. Inadvertently, an error has occurred in the Order notified on 3 March 2020. The details of the error and the correction to be made are detailed below:

Reference to Order	As appeared in the Notification	To be read as given below
Section 7 – B of Annex (SOR) – Shut outs / Denomination of containers – Transportation of shutout containers	B. Transportation of shutout containers	B. Transportation of shutout containers
	Rate in US\$	Rate in ₹
	FCL & MT 40'	5,212
	FCL & MT 20'	3,475

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./61/2020-21]